Date – 15 July 2022

रेड पांडा संरक्षण

- हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग पांच वर्षों में 20 रेड पांडा को जंगल में छोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है।
- पश्चिम बंगाल के सबसे संरक्षित क्षेत्र सिंगिला नेशनल पार्क को जल्द ही नए निवासी मिलेंगे।

रेड पांडा:

- विशाल पांडा और लाल पांडा दुनिया में केवल दो अलग-अलग पांडा प्रजातियां हैं।
- यह सिक्किम का राज्य पशु भी है।
- लाल पांडा शर्मीले, एकान्त और पेड़ पर रहने वाले जानवर हैं और पारिस्थितिक परिवर्तन के लिए एक संकेतक प्रजाति माने जाते हैं।

- **भारत में दोनों (उप) प्रजातियां पाई जाती है:**
- हिमालयन रेड पांडा (ऐलुरस फुलगेन्स)
- चीनी लाल पांडा (ऐलुरस स्टेनई)
- अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी दो फाईलोजेनेटिक प्रजातियों को विभाजित करती है।
- यह भारत के उत्तरी पहाड़ों, नेपाल, भूटान और म्यांमार और दक्षिणी चीन के जंगलों में पाया जाता है।
- पश्चिम बंगाल में सिंगिला और नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान दो संरक्षित क्षेत्र हैं जहां लाल पांडा पाए जाते हैं, यहां तक कि इन संरक्षित क्षेत्रों में भी पांडा की आबादी में गिरावट आई है।

संरक्षण स्तर:

लाल पांडा:

- **आईयूसीएन रेड लिस्ट:** संकटापन्न
- **CITES:** परिशिष्ट 1
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972:** अनुसूची 1

विशालकाय पांडा:

- **आईयूसीएन रेड लिस्ट:** संवेदनशील
- **CITES:** परिशिष्ट 1

रेड पांडा परियोजना:

- पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग पांच वर्षों में इनमें से 20 स्तनधारियों को जंगल में छोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है।
- पद्मजा नायडू पार्क दार्जिलिंग देश में सबसे अधिक ऊंचाई वाले चिड़ियाघरों में से एक है और इन स्तनधारियों के प्रजनन में बहुत सफल रहा है।
- इन पंडों को पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च संरक्षित क्षेत्र सिंगिला नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा।
- सिंगिला राष्ट्रीय उद्यान दार्जिलिंग जिले में सिंगलिला रिज पर स्थित है।
- यह पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पार्क है।
- यह शुरू में एक वन्यजीव अभयारण्य था और वर्ष 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था।

पश्चिम बंगाल के अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं:

- जलदा पारा राष्ट्रीय उद्यान
- नियोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान
- सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान
- गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान
- बक्सा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व

लाल पांडा के संरक्षण के लिए भारत के प्रयास:

लाल पांडा आवास को सुरक्षित करना:

- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया स्थानीय समुदायों के साथ उनकी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए नवीन तकनीकों से परिचित कराकर ईंधन की लकड़ी पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए काम करता है।
- सिक्किम में 200 से अधिक लोगों को बायो-ब्रिकेट बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है।

स्थानीय समर्थन:

- स्थानीय समुदाय वैकल्पिक आजीविका गतिविधियों में शामिल हैं जो उन्हें लाभान्वित करती हैं, साथ ही साथ संरक्षण पहल का समर्थन करती हैं।
- अरुणाचल प्रदेश में समुदाय आधारित पर्यटन स्थानीय लोगों को लाल पांडा आने वाले पर्यटकों से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाता है।

लाल पांडा आबादी के लिए खतरे को कम करना:

- वन निर्भरता को कम करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करना और उन्हें संरक्षण उपायों में शामिल करना, साथ ही आवास क्षरण और विखंडन के खतरे को दूर करना।
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया ने सिक्किम एंटी-रेबीज एंड एनिमल हेल्थ (सारा) के साथ भी सहयोग किया है और महत्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्रों के आसपास जंगली कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए उनकी नसबंदी करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।

स्वदीप कुमार

ड्रैगन फ्रूट

- हाल ही में केंद्र ने ड्रैगन फ्रूट के विकास को बढ़ावा देने का फैसला किया है, इसके स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए इसे "स्पेशल फ्रूट" के रूप में मान्यता दी है।
- इसके अलावा, केंद्र का मानना है कि फल के पोषण लाभ और वैश्विक मांग के कारण भारत में इसकी खेती को बढ़ाया जा सकता है।

ड्रैगन फल:

- ड्रैगन फ्रूट हिलोसेरियस कैक्टस पर उगता है, जिसे होनोलूलू क्वीन के नाम से भी जाना जाता है।
- यह फल दक्षिणी मेक्सिको और मध्य अमेरिका का मूल निवासी है। आज भी इसे पूरी दुनिया में उगाया जाता है।
- इस समय इस फल की खेती करने वाले राज्यों में मिजोरम सबसे आगे है।
- इसे पपीता, पपीता और स्ट्रॉबेरी, नाशपाती समेत कई नामों से जाना जाता है।
- दो सबसे आम प्रकारों में से, यह चमकीले लाल रंग का होता है जिसमें हरे रंग का पंख होता है जो ड्रैगन जैसा दिखता है।
- इसे पपीता, पपीता और स्ट्रॉबेरी, नाशपाती समेत कई नामों से जाना जाता है।
- दो सबसे आम प्रकारों में से, यह चमकीले लाल रंग का होता है जिसमें हरे रंग का पंख होता है जो ड्रैगन जैसा दिखता है।

सबसे बड़ा उत्पादक:

- ड्रैगन फ्रूट का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक वियतनाम है, जहां 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसियों द्वारा इस पौधे की शुरुआत की गई थी।

- वियतनामी लोग इसे थान लांग कहते हैं, जिसका अनुवाद "ड्रैगन की आंख" के रूप में होता है, जिसे इसके सामान्य अंग्रेजी नाम की उत्पत्ति माना जाता है।
- वियतनाम के अलावा, यह विदेशी फल संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल और श्रीलंका में भी उगाया जाता है।

विशेषताएँ:

- इसके फूल उभयलिंगी प्रकृति के होते हैं (एक ही फूल में नर और मादा अंग) और रात में खुलते हैं।
- पौधा 20 से अधिक वर्षों तक उपज देता है, यह उच्च न्यूट्रास्युटिकल गुणों (औषधीय प्रभाव वाले) के साथ मूल्यवर्धित है और प्रसंस्करण उद्योगों के लिए फायदेमंद है।
- यह विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है।

वातावरण की परिस्थितियाँ:

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, इस पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इसे शुष्क भूमि पर उगाया जा सकता है।
- शुरुआत में खेती की लागत अधिक होती है लेकिन पौधे को उत्पादक भूमि की आवश्यकता नहीं होती है; इसका अधिकतम उत्पादन अनुत्पादक, कम उपजाऊ क्षेत्रों में किया जा सकता है।

राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदम:

- गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम (कमल) रखा और इसकी खेती करने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की।
- हरियाणा सरकार उन किसानों को भी अनुदान प्रदान करती है जो इस विदेशी फल किस्म को उगाने के इच्छुक हैं।
- महाराष्ट्र सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री और इसकी खेती के लिए सब्सिडी प्रदान करके राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने की पहल की है।

स्वदीप कुमार

वैश्विक स्वास्थ्य के लिये जीनोमिक्स

विकासशील देशों को जीनोमिक प्रौद्योगिकियों को पारित करने की वकालत करते हुए **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** की विज्ञान परिषद ने एक रिपोर्ट **"वैश्विक स्वास्थ्य के लिये जीनोमिक्स तक पहुंँच में तेज़ी" जारी की है।**

- **WHO की 10 साल की रणनीति के लिए** रिपोर्ट ने रोगजनकों की **जीनोमिक निगरानी करने के लिए निश्चित किया गया है ।**
  - **कोविड-19** महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर जीनोमिक निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपनी क्षमताओं के कारण वेरिएंट का पता लगाने में दक्षिण अफ्रीका जैसे देश इस क्षेत्र में आवश्यक योगदान देने में सक्षम हैं।

रिपोर्ट के अनुसार

- **जीनोमिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का विस्तार** विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) के लिये करने की आवश्यकता है।
- ऐसी तकनीकों तक देर से पहुँच प्राप्त करना नैतिक या वैज्ञानिक रूप से कम संसाधनों वाले देशों के लिये उचित नहीं है।
- **बेहतर वित्तपोषण, प्रयोगशाला के बुनियादी ढाँचे, सामग्री और उच्च प्रशिक्षित कर्मियों की कमी को दूर कर जीनोमिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का विस्तार करने की आवश्यकता है।**
- इसका सम्पूर्ण लाभ उठाने के लिए इन तकनीकों को दुनिया भर में तैनात किया जाना आवश्यक है।
  - हर जगह, हर किसी के स्वास्थ्य में बेहतर सुधार केवल समानता के माध्यम से ही किया जा सकता है, एवं विज्ञान अपने पूर्ण संभावित प्रभाव तक पहुँच सकता है।
- **चार विषयों को संबोधित करने की सिफारिश रिपोर्ट ने की:**
  - वकालत, कार्यान्वयन, सहयोग और संबद्ध नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दे।
- रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि WHO सिफारिशों को आगे बढ़ाने और उनके अनुप्रयोगों की निगरानी के लिये जीनोमिक्स समिति का गठन करे ।

जीनोमिक्स:

- जैव रसायन, आनुवंशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान विधियों का उपयोग जीनोमिक्स क्षेत्र में **डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA)** और **राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA)** में जैविक जानकारी को समझने तथा उपयोग करने हेतु किया जाता है।

- जीनोमिक विज्ञान में उपयोग की जाने वाली अनेक तकनीक प्रचलित हैं और उनका विस्तार आज भी जारी है।
  - जीनोमिक्स क्षेत्र में सभी जीवों में जिसमे वायरस भी शामिल हैं समग्र आनुंशिक जानकारी एवं जैविक सूचनाओं को चित्रित करने के लिये डिज़ाइन किया जाता है जो जीनोम्स में संग्रहीत होते हैं जैसे- **DNA** के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम (या कभी-कभी **RNA**)।

अनुप्रयोग:

- **संक्रामक रोगों के नियंत्रण में :**
  - संक्रमण के लिए जिम्मेदार घटकों के **विकास का अध्ययन।**
  - संक्रामकता और रोगजनकता प्रदान करने के लिए विशिष्ट जीनों को **फेनोटाइपिक** बनाना।
  - एक संक्रामक घटक की संवेदनशीलता या दवाओं के प्रतिरोध का मूल्यांकन करना।

- **आनुवंशिक स्थितियों का निवारण और प्रबंधन:**
  - **आनुवंशिक विकार** के लिये **ज़िम्मेदार वाहक स्थिति का मूल्यांकन** करना।
  - **एकल जीन विकारों की जाँच** और उनका निदान।
  - कई **पुरानी बीमारियों** के लिये रोग की संवेदनशीलता या प्रवृत्ति का आकलन करना।
  - विषाक्तता को कम करने के लिये क्रिया तंत्र या चयापचय के आनुवंशिक निर्धारकों के आधार पर दवाओं का चयन करना।
- **कृषि:**
  - विभिन्न जंगली प्रजातियों में व्याप्त **आनुवंशिक विविधता की सूची** तैयार करना।
  - स्वास्थ्य और व्यावसायिक लक्षणों के लिये आनुवंशिक रूप-रेखा का आकलन करना।
  - **पर्यावरणीय तनाव के प्रति संवेदनशीलता** और प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी करना।

रिपोर्ट की सिफारिशें

- **जीनोमिक्स को बढ़ावा:** विभिन्न पक्षों द्वारा समर्थन के माध्यम से सभी सदस्य राज्यों में जीनोमिक्स को अपनाने या इसके विस्तारित उपयोग को बढ़ावा देना।
  - WHO को अपनी नेतृत्वकारी भूमिका के माध्यम से अपने सदस्य राज्यों में जीनोमिक्स के विस्तारित उपयोग का समर्थन करने के लिये वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में का उपयोग करना चाहिये।
  - WHO को वैश्विक स्तर पर जीनोमिक तकनीक तक सस्ती पहुँच के माध्यम से सभी सदस्य राज्यों विशेष रूप से निम्न और माध्यम आय वाले देशों में बेहतर स्वस्थ्य सुविधायों तक पहुँच को सुदृढ़ करना चाहिए।
- **जीनोमिक कार्यप्रणाली:**
  - उचित प्रावधान के माध्यम से जीनोमिक्स के कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले व्यावहारिक मुद्दों की पहचान कर उन्हें दूर किया जाना चाहिये।
    - WHO को सदस्य राज्यों को जीनोमिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिये।

- सदस्य राज्यों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से जीनोमिक क्षमताओं के निर्माण या विस्तार करना चाहिए ।

- **संलग्न संस्थाओं के बीच सहयोग:**
  - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए WHO को प्रभावी मौजूदा सहयोगी व्यवस्थाओं को मज़बूत करके और विशिष्ट ज़रूरतों के लिये नई व्यवस्थाओं के निर्माण करना चाहये।
  - उद्योग, शिक्षा और नागरिक समाज को महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं, विशेष रूप से LMICs में प्रचलित समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिये जीनोमिक्स के उपयोग पर सहयोग करना चाहिये।
- **जीनोमिक्स द्वारा उत्पन्न मुद्दों पर ध्यान देना:**
  - WHO की जीनोमिक्स समिति को जीनोमिक्स के नैतिक एवं सामाजिक प्रभावों से निपटने के लिये मार्गदर्शन के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिये, जिसमें जीनोमिक से संबंधित जानकारी का वैश्विक शासन भी शामिल है।
  - सदस्य राज्यों में स्थित संगठनों, विशेष रूप से वित्तपोषण एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी इकाइयों को ELSIs व WHO तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा जीनोमिक ELSIs से संबंधित शेष मुद्दों के समाधान विकसित करने के प्रयासों के प्रति तत्पर रहना चाहिये।

जीनोमिक्स के आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, और पर्यावरण सम्बन्धित लाभ:

- यह मशीनों और अभिकर्मकों का उत्पादन करने एवं वाणिज्यिक लाभ के लिये प्रत्यक्ष प्रोत्साहन सेवाएँ प्रदान करता है ।
- अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन के माध्यम से जनसंख्या स्वास्थ्य में सुधार (बेहतर चिकित्सा देखभाल, जीवन की गुणवत्ता, संभावित रूप से कम स्वास्थ्य देखभाल उपयोग) और बौद्धिक संपदा अधिकारों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है।
- विभिन्पन पदों पर रोज़गार का सृजन करता है, जैसे कि शैक्षणिक, चिकित्सा और व्यावसायिक ।
- गरीबी, भूख और स्वास्थ्य से संबंधित प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों; विशेष रूप से सतत् विकास लक्ष्य 1 से 3 प्राप्त करने में मदद करता है।

- इसके अलावा यह संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों **14 और 15 के तहत समुद्री और भूमि संसाधनों के संरक्षण** के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सहायता करता है।
- कोविड -19 एवं कैंसर जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उपचार करने में जीनोमिक्स मानव स्वास्थ्य में भारी योगदान दे सकता है।

रवि सिंह

चुनावों में मुफ्त का आकर्षण और आर्थिक पक्ष

संदर्भ क्या है ?

- वर्तमान में श्रीलंका का आर्थिक पतन और राजनैतिक संकट देखा जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राज्यों द्वारा अपनाई गई मुफ्त की योजनाओं की राजनीति (Freebie politics) की आलोचना की है।
- श्रीलंका की सरकार ने भी करों में कटौती और विभिन्न मुफ़्त वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण के कदम उठाए थे जिसके कारण अर्थव्यवस्था के पतन की स्थिति बनी । मतदाताओं को लुभाने के लिये या सत्ता में बने रहने के लिये मुफ़्त सुविधाएँ प्रदान करना हो, फ्रीबीज़ भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग बन गए हैं।

आरबीआई की रिपोर्ट में फ्रीबीज के मुद्दे

आरबीआई द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में फ्रीबीज या मुफ्त की योजनाओं के मुद्दे को उठाया गया है। वर्तमान परिदृश्य में, दस राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि उनके वित्तीय ऋण का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात बहुत अधिक बढ़ रहा है। इन सबके बीच पंजाब में हालात बेहद खराब हैं। अन्य राज्य राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा हैं। इसके अलावा

वित्त वर्ष 2021-22 में इन राज्यों (उत्तर प्रदेश और झारखंड को छोड़कर) का राजकोषीय घाटा उनकी जीडीपी के तीन प्रतिशत से अधिक था।

इन राज्यों में कर्ज पर ब्याज भुगतान राजस्व के 10 फीसदी से ज्यादा रहा है। वर्ष 2019-20 में केवल ग्यारह राज्य वित्तीय लाभ में थे। पंजाब इन दिनों मुफ्त सुविधाओं (बिजली, पानी आदि) को लेकर काफी चर्चा में है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में नि:शुल्क प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाएं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 25.6 प्रतिशत होने का अनुमान है, जबकि यह वित्तीय आय का 17.8 प्रतिशत और कर संग्रह का 45.4 प्रतिशत अनुमानित है। यह आंकड़ा आर्थिक विकास के मोर्चे पर चिंता बढाता है।

फ्रीबीज़ या मुफ्त के आकर्षण से आशय

- राजनीतिक पार्टियाँ मतदाताओं को आकर्षित करने के लिये मुफ़्त बिजली/पानी देने, बेरोज़गारों, मज़दूरों एवं महिलाओं के लिये मासिक भत्ते के साथ-साथ लैपटॉप, टीवी, साइकिल आदि देने का वादा करते हैं। यही नहीं ऋण माफी आदि की भी मुफ्त की घोषणा अक्सर की जाती है। इन्हें ही फ्रीबीज या मुफ्त का आकर्षण कहा जाता है । चुनावों में इस प्रकार की मुफ्त की घोषणाओं की आलोचना की जाती है क्योंकि ये मतदाताओं को रिश्वत देने के सामान है।

फ्रीबीज़ के पक्ष में तर्क

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मुफ्त सहायता जैसे विषयों में व्यय वास्तव में समग्र लाभ पैदा करता है। यह कोविड महामारी के दौरान पुष्टि हुई है ।
- मुफ्त सहायता लंबे समय में गरीब जनसंख्या की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में योगदान करती हैं और मजबूत कार्यबल के निर्माण में मदद करती हैं, जो किसी भी विकास रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है।
- तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्य महिलाओं को सिलाई मशीन, साड़ी और साइकिल जैसे लाभ दे रहे हैं जो संबंधित उद्योगों की बिक्री बढ़ाने में भी योगदान देता है। इसे आपूर्तिकर्ता उद्योग के लिए प्रोत्साहन के रूप में देखा जाना चाहिए न कि धन की बर्बादी के रूप में।
- गरीबी से पीड़ित निम्न स्तर के विकास वाले राज्यों के लिए इस तरह की मुफ्त सहायता आवश्यकता या मांग-आधारित हो जाती है और इस प्रकार लोगों के लिए विकास के लिए सब्सिडी देना आवश्यक हो जाता है।

फ्रीबीज़ के विपक्ष में तर्क

- राजनीतिक दलों द्वारा जनता को मुफ्त सुविधाएं देने का न तो कोई संवैधानिक प्रावधान है और न ही दूरगामी आर्थिक विकास की विचारधारा इस पक्ष में है। कई राज्यों में यह भी देखने को मिल रहा है कि कर संग्रह बढ़ाने के उद्देश्य से शराब की बिक्री पर अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आय बढ़ाने के अन्य स्रोत वर्तमान में उनके पास नहीं हैं। ऐसे में मुफ्त की घोषणाएं आर्थिक स्थिति को और ख़राब कर देती हैं।
- फ्रीबीज़ की राजनीति व्यय प्राथमिकताओं को नकारात्मक करती है और सब्सिडी की राजनीति पर केंद्रित बने रहने की प्रवृत्ति उभरती है।
- इनसे राजकोषीय घाटे और आर्थिक अस्थिरता की स्थिति बढती है।
- यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की भावना के विरुद्ध है। चुनाव से पहले लोकलुभावन घोषणायें मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करती हैं तथा सभी दलों के लिये समान अवसर की स्थिति में वाधा उत्पन्न करती हैं।
- जब कोई बस्तु 'मुफ़्त' में प्रदान की जाती है तो इनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है, इस प्रकार संसाधनों की बर्बादी होती है। इस प्रकार के कदम पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और धारणीय परिवहन प्रणालियों के लिए आवश्यक व्यय को कम करते हैं।
- जब किसी वर्ग की ऋण माफ़ी की जाते है तो इससे उस वर्ग में आगे भी ऋण लेकर कभी नहीं चुकाने की प्रवृत्ति पैदा होती है , इस से समाज में गलत प्रवृत्ति आती है और देश की राजकोषीय स्थति के लिए खतरा बना रहता है ।

निष्कर्ष

- फ्रीबीज़ के प्रभावों को आर्थिक बुद्धिमत्ता और करदाताओं के धन के उचित प्रयोग से संयोजित करके समझा जाना चाहिए। सब्सिडी का तार्किक प्रयोग हो और फ्रीबीज़ पर अंकुश लगाये जाने कि आवश्यकता है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था आज वैश्विक पहचान रखती है, लेकिन राज्यों की कमजोर होती हुई आर्थिक स्थिति विदेशी निवेशकों में असमंजस और खतरे का सूचक बनती जा रही है। ऐसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लगाना होगा अन्यथा इस संकट के प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति पर भी स्पष्ट तौर पर देखने को मिल सकते हैं।
- भारत एक विशाल और विविधता वाला देश है और यहाँ अभी भी ऐसे लोगों का एक विशाल समूह उपलब्ध है जो गरीबी रेखा से नीचे है। समावेशी विकास के लिए क्या मुफ्त

में दिया जाना आवश्यक है और क्या नहीं ,इसकी तार्किकता को समझा जाना आवश्यक है।

- कोई भी मुफ्त की घोषणा या सहायता की यदि आबश्यकता होती है तो उसे सरकार की तरफ से सरकारी नीति के रूप में किया जाना चाहिए न कि लोक लुभावन वादों के रूप में चुनाव के समय । चुनावी घोषणाओं पर नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त किया जाना चाहिए।

मुकुंद माधव